-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अवैध तमंचा तथा अवैध गांजे की खेती करने वाले एक अन्य अभियुक्त को अलग-अलग स्थानों से किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को अवैध तमंचा तथा अवैध गांजे की खेती करने वाले एक अन्य अभियुक्त को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 18/19.06.2025 की रात्रि को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सिकन्दर बक्स पुत्र जाफर निवासी नौगवां थाना कालिंजर को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ ग्राम गुढ़ाकला से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जाफर बक्स उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त व गैंग डी-4 का सदस्य भी है। इसी क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा ग्राम लहौरा से अवैध गांजे की खेती करने वाले एक अन्य अभियुक्त मुन्ना प्रसाद तिवारी पुत्र बोड़ीलाल निवासी लहौरा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने खेत में बने ट्यूबवेल के पास अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। मौके से 6.3 किलोग्राम अवैध हरा गांजा बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 6.3 किलोग्राम अवैध हरा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सिकन्दर बक्स पुत्र जाफर निवासी नौगवां थाना कालिंजर जनपद बांदा।
2. मुन्ना प्रसाद तिवारी पुत्र बोडीराम निवासी लहौरा थाना कालिंजर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 107/25 धारा 8/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 108/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी गुढ़ाकला
2. उ0नि0 श्री भरत लाल सरोज
3. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र गौतम
4. कां0 सुमित पाल
5. कां0 शिवम प्रताप सिहं
6. कां0 राहुल राठौर
7. कां0 कमलेश यादव